प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 37 / **2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Radha Charnal Add: Chandpol Bahar, ward no. 25, Kankaroli, Rajsamand

...............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02-06-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329215273829733 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3830772170 दिनांक 11.03.2025, 5288102947 दिनांक 24.04.25, 3159974315 दिनांक 16.04.25, 4880808971 दिनांक 02.05.25, 9968146465 दिनांक 23.05.25 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/56/25/389–90 दिनांक 16.04.2025, 374–75 दिनांक 07.04.25, 463–64 दिनांक 13.05.25 व 518–19 दिनांक 22.05.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मावली ने जरिये पत्रांकः आरटीआई/2025/273 दिनांक 28.05.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम मावली में अन्दर हल्का आबादी जिसके आराजी संख्या 770 में श्री विकास कुमार गुसर पिता राजेश कुमार गुसर निवासी मावली के नाम आवासीय पट्टो की प्रमाणित प्रति चाही गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नगर पालिका/विकास अधिकारी पंचायत समिति मावली को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जाकर प्रार्थिया को समय पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु पाबंद किया गया। प्रार्थिया द्वारा दिनांक 17.03.2025 को पुनः प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति मावली एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मावली को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जाकर प्रार्थिया को समय पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु पाबंद किया गया। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मावली द्वारा पत्र क्रमांक

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

आरटीआई/2025/116 दिनांक 27.07.2025 से अवगत कराया गया कि वांछित सूचना प्रार्थीया के पति श्री राजकुमार चरनाल को उपलब्ध करवाई जाकर प्राप्ति रसीद प्रस्तुत की गई। अतः अपील निरस्त करने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.02.2025 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मावली से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति मावली एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मावली से संबंधित होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति मावली एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मावली को हस्तांतरित किया गया जिसके उपरांत अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मावली द्वारा अपीलार्थी के पति को सूचना उपलब्ध करवा दी गई। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मावली को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार निर्धारित समयावधि में निस्तारण करें एवं सख्त हिदायत दी जाती है कि अपील में नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02-06-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर